<u>प्रकाशनयोग्य</u>

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>सिविल अपील संख्या 877/2018</u>

(एस.एल.पी. संख्या(सी) 15852/2016 से उद्भूत)

अशोक कुमार व अन्य ....अपीलकर्तागण

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य ....उत्तरवादीगण

झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2004 - नियम 21, 22 और 27 - न्यायिक अधिकारियों को "उच्च ग्रेड" हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वेतन वृद्धि का लाभ देने से इंकार किया गया - चुनौती दी गई - अभिनिर्धारित: 2001 के नियमावली के नियम 22 में विभागीय परीक्षा नियमों द्वारा विहित समय-समय पर परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की अपेक्षा का उल्लेख किया गया है - जब 2004 की नियमावली अधिनियमित किए गए थे, वे सभी पहले के नियमों के अधिक्रमण में थे और 2001 की नियमावली को 2004 की नियमावली के नियम 27 के आधार पर विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया था - इस प्रकार, पहले की स्थिति 2004 की नियमावली के प्रारंभ से विलोपित हो गई - 2004 की नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया था कि झारखंड न्यायिक सेवा के सदस्यों के चयन, भर्ती और नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों और निबंधनों को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए उक्त नियमावली अभिभावी होंगे - 2004 की नियमावली के नि. 21(ख) यह भी बिल्कुल स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालय के निर्देश और मार्गदर्शन में न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना ही प्रशिक्षुओं के स्थायीकरण के लिए "एकमात्र पूर्ववर्ती शर्त

होगी" - इस प्रकार, 2004 की नियमावली के बारे में कोई संदेह नहीं है, अर्थात, वही अकेले अभिभावी हैं और वे बदले में "उच्च ग्रेड" हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता के लिए प्रावधान नहीं किया था - 2004 की नियमावली के अनुसार प्रचलित विधिक स्थिति हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं करता है क्योंकि 1963 के बिहार नियमों को 2004 के नियमों में नहीं पढ़ा जा सकता है - इसलिए, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करना आज्ञापक निर्धारित करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया जाता है - झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियम, 2001 - न्यायिक सेवा।

अपील अनुज्ञात करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: विवादित आदेश के तर्क को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और न ही इसे 2004 के नियमों में "उच्च ग्रेड" हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आज्ञापक अपेक्षा के रूप में पढ़ा जा सकता है। 2001 के प्रचलित नियमों तक इस स्थिति पर कोई विवाद नहीं है। ऐसा 2000 के अधिनियम के अनुसार झारखंड राज्य के निर्माण पर 1963 के बिहार नियमावली लागू होने की वजह से है। 2001 के नियमावली में भी हिंदी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की परिकल्पना की गई थी, जो 1963 के बिहार नियमावली का संदर्भ था। हालाँकि, जब 2004 की नियमावली अधिनियमित की गई थी तो वे सभी पुराने नियमावलियों के अधिक्रमण में थे और 2001 की नियमावली को 2004 की नियमावली के नियम 27 के तहत विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार, पहले की स्थिति 2004 के नियमावली के प्रारंभ से प्रचलनमें नहीं रह गई। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। नियुक्ति अधिसूचनाओं में भी, पैरा 2 के अनुसार, परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जैसा की झारखंड सेवा (भर्ती) विनियम, 2005 के नियम 21 और 22 में विहित है, जिसे वास्तव में 2004 का नियमावली पढ़ा जाना चाहिए, जो कि, हालाँकि, 31.3.2005 को प्रकाशित किए गए थे। बदले में इन नियमावलियों में विहित किया गया था कि परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना प्रशिक्षुओं के स्थायीकरण के लिए "एकमात्र पूर्ववर्ती शर्त होगी"। निस्संदेह एक अतिरिक्त शर्त है कि उच्च न्यायालय कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना विहित कर सकता है किन्तु तब ऐसी कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित नहीं होगी बल्कि तब उच्च न्यायालय ने नियमों की व्याख्या करने का प्रयास किया मानो कि 1963 के बिहार नियमावली के अधीन हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रावधान अंतर्ग्रस्त हो, 2001 के नियमों के प्रावधान 2004 के नियमों में भी पढ़ा जाना चाहिए के अनुसार। इस प्रकार की कार्यवाही असमर्थनीय है। [पैरा 21, 22 और 23][762-जी-एच; 763-बी-डी]

रतन लाल एंड कंपनी एवं अन्य बनाम मूल्यांकन प्राधिकारी, पटियाला एवं अन्य [1969] 2 एस.सी.आर. 544 - संदर्भित।

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[1969] 2 एस.सी.आर. 544 पैरा 15 का संदर्भ दिया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 877/2018

डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 5186/2014 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 03.03.2016 के निर्णय एवं आदेश से।

उपस्थित पक्षकारों की ओर से अधिवक्तागण - अमित गुप्ता, सुश्री मानसी कुकरेजा (मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी के लिए), तपेश कुमार सिंह, मोहम्मद वकास, आदित्य प्रताप सिंह, चंद्र भूषण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय **संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति** द्वारा सुनाया गया। 1. झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियम, 2004 (जिसे आगे '2004 नियम' कहा जाएगा) दिनांक 31.3.2005 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विरचित किया गया था । प्रस्तावना का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है:

> "अब इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम करने वाले कानून के सभी प्रावधानों के तहत, और इस विषय पर पहले के सभी नियमों को अधिक्रमित करते हुए, झारखंड के राज्यपाल, झारखंड उच्च न्यायालय और झारखंड राज्य लोक आयोग के परामर्श के बाद, झारखंड न्यायिक सेवा के सदस्यों का चयन, भर्ती और नियुक्ति करने तथा उनकी सेवा की शर्तों और नियमों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने की प्रसन्नता व्यक्त करते हैं:-"

2. इस प्रकार, नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि वे इस विषय पर सभी पूर्वोत्तर नियमों का स्थान लेंगे। 2001 के पूर्वोत्तर नियमों को 2004 के नियमों के नियम 27 के आलोक में विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया है, जो इस प्रकार पाठ्य है:

> "27. निरसन एवं व्यावृत्ति: (i) अधिसूचना संख्या 185 दिनांक 20 अगस्त, 2001 द्वारा जारी झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2001 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।
>
> (ii) ऐसे निरसन के बावजूद, 2001 के नियमों के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तहत की गई मानी जाएगी और 2001 के नियमों के अनुसार शुरू की गई कोई भी चयन प्रक्रिया या की गई नियुक्तियां इन नियमों के तहत की गई मानी जाएंगी।"

3. नियुक्ति उचित प्रक्रिया के बाद की जानी थी और 2004 के नियमों के नियम 21 के अनुसार न्यायिक अकादमी में एक वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि की परिकल्पना की गई थी, जिसके बाद प्रशिक्षुओं को उच्च

न्यायालय के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होना था। 2004 के नियमों का प्रासंगिक खंड 21 (बी) इस प्रकार है:

> "21 (ख)। नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, या उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि से, सिविल जज, जूनियर डिवीजन (मुंसिफ)/सिविल जज, सीनियर डिवीजन (अधीनस्थ न्यायाधीश) को झारखंड न्यायिक अकादमी, रांची या उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, सिविल जज, जूनियर डिवीजन (मुंसिफ) प्रशिक्षु सिविल जज, सीनियर डिवीजन (अधीनस्थ न्यायाधीश) - प्रशिक्षु उच्च न्यायालय के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होंगे <u>और इस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना ही प्रशिक्षुओं की सिविल जज, जूनियर डिवीजन (मुंसिफ)/सिविल जज, सीनियर डिवीजन (अधीनस्थ न्यायाधीश) के रूप में पुष्टि</u> के लिए एकमात्र शर्त होगी।"
> **(जोर दिया गया)**

4. इसका प्रभाव यह है कि इस परीक्षा को पास करना ही पुष्टि के लिए 'एकमात्र' पूर्व शर्त थी।

5. प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जा सकती है मगर दो वर्ष से अधिक नहीं । तथा ऐसे प्रशिक्षु जो उपर्युक्त खंड में अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उन्हें अभ्यावेदन पर उच्च न्यायालय उचित रूप से परीक्षा देने का एक और अवसर दे सकता है। 2004 के नियमों के नियम 22 के तहत परिकल्पित कुल परिवीक्षा अवधि नियुक्ति की तिथि से शुरू होकर तीन वर्ष है। हालांकि, इस अवधि को उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत मामलों में बढ़ाया जा सकता है, जो प्रदर्शन और अन्य मापदंडों पर निर्भर करता है, जिन्हें उच्च न्यायालय समय-समय पर निर्धारित कर सकता है या सेवा के दौरान ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर करता है, जिसे उच्च न्यायालय इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कर सकता है।

6. जहां तक इस न्यायालय के समक्ष विवाद का संबंध है, यह नोट करना प्रासंगिक है कि पहले के 2001 के नियम, नियम 22 में निर्दिष्ट संदर्भ में थोड़े भिन्न थे, जो इस प्रकार है:

> "22. इन नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अस्थायी आधार पर नियुक्त मुंसिफ, बिना किसी ऊपरी आयु सीमा के, सेवा में स्थायी नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि:
>
> (i) उसने अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;
>
> (ii) उसने ऐसा परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो, जो समय-समय पर <u>विभागीय परीक्षा नियमों</u> में निर्धारित किए जाएं; और
>
> (ii) उच्च न्यायालय द्वारा उसे ऐसी स्थायी नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया जाता है।" **(जोर दिया गया)**

7. उपर्युक्त खंड को महज़ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि इस नियम में ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी, जैसा कि समय-समय पर "विभागीय परीक्षा नियम" में निर्धारित किया जा सकता है, परन्तु 2004 के नियम में ऐसा कोई संगत प्रावधान नहीं है।

8. यह भी ध्यान देने योग्य है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान, ऐसा नहीं है कि पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त शर्तें निर्धारित की गई थी। वर्तमान मुद्दे के संदर्भ में, पुष्टि के लिए राजस्व बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी में कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी, जो वर्तमान अपील में इख़्तिलाफ़ की जड़ है।

9. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं को दो अधिसूचनाओं के माध्यम से भर्ती किया गया है - पहली अधिसूचना दिनांक 5.1.2011 की है; तथा दूसरी अधिसूचना दिनांक 28.3.2011 की है, जो भर्ती प्रक्रिया में सफल उम्मीदवार की हैं। जारी की गई अधिसूचनाओं में, एक समान पैरा 2 इस प्रकार है:

> "2. नियुक्ति अहलियत की जांच के अधीन होगी और इस जांच अवधि का विस्तार और (सेवा) पुष्टिकरण का विस्तार झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) विनियमन 2005 नियम 21 और 22 और झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के अधीन होगी।"

10. उपर्युक्त स्थिति के बावजूद, इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं को तीन वर्ष की निरंतर सेवा के बाद स्थायी नहीं किया गया। अपीलकर्ताओं ने प्रेरण कार्यक्रम के अंत में न्यायिक अकादमी, झारखंड द्वारा आयोजित

परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसका प्रत्यक्ष कारण यह था कि वे राजस्व परिषद द्वारा आयोजित विभागीय हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं ने दिनांक 29.4.2014 को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें बार-बार सूचित किया गया और सलाह दी गई कि उन्हें 2004 के नियमों के अनुसार हिंदी परीक्षा में भाग लेने से छूट दी गई है और इसलिए, वे विभागीय हिंदी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। हालाँकि, इस अभ्यावेदन को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित स्थिति में खारिज कर दिया:

> "इस न्यायालय द्वारा सेवा में स्थायीकरण और वेतन वृद्धि प्राप्त करने के संबंध में कुछ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली 2004 के नियम 21(बी), बिहार सरकारी सेवक (हिंदी परीक्षा) विनियम, 1968 के नियम 7 और बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा नियमावली, 1963 के नियम 27(ए) के अनुसार सिविल जज (जूनियर डिवीजन) द्वारा हिंदी परीक्षा के साथ-साथ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना उनकी वेतन वृद्धि व स्थायीकरण के लिए भी एक पूर्वर्ति शर्त है।"

11. इस प्रकार, प्रतिवादियों ने भी उसी 2004 के नियम 21(बी) को बिहार सरकारी सेवक (हिंदी परीक्षा) विनियमन, 1968 के नियम 7 के साथ पठित बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा नियम, 1963 (जिसे आगे '1963 बिहार नियम' कहा जाएगा) के नियम 27(ए) पर ही भरोसा किया। पश्चातवर्ति नियम इस प्रकार है:

> “परीक्षाओं के प्रति परिवीक्षार्थियों का दायित्व
>
> 27. (ए) प्रत्येक परिवीक्षार्थी को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है:-
>
> (i) उच्च न्यायालय के सामान्य नियम और परिपत्र आदेश (आपराधिक और सिविल दोनों), जैसा कि इस नियम के उप-नियम (बी) में निर्धारित किया गया है। उच्च न्यायालय के सामान्य नियमों और परिपत्र आदेशों की जांच विशेष रूप से इस बात का परीक्षण करेगी कि परीक्षार्थी ने नियमों को लागू करने में किस हद तक व्यावहारिक सुविधा हासिल की है।

(ii) इस नियम के उपधारा (1)(सी) में निर्धारित प्रक्रियात्मक कानून और साक्ष्य विधि।

(iii) इस नियम के परिशिष्ट-1 में वर्णित निम्नतर और उच्चतर स्तर की हिन्दी।"

(जोर दिया गया)

12. स्वीकार्य तथ्यात्मक स्थिति यह है कि झारखंड राज्य का स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार 15.11.2000 को बिहार राज्य से तराश करके किया गया था। 2001 के नियम 22 में विभागीय परीक्षा नियमों द्वारा समय-समय पर निर्धारित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का उल्लेख है, जो बदले में 1963 के बिहार नियम का नियम 27 (ए) है।

13. उपर्युक्त हालात के मद्देनज़र इस अस्वीकृति को जिन्हें दिनांक 03.03.2016 के सामान्य आदेश के ज़रिए खारिज कर दिया गया है,रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई है।

14. अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 और 85 के मद्देनजर, 1963 के बिहार नियम नए बनाए गए झारखंड राज्य में लागू माने गए। हालांकि, यह स्थिति 2001 के नियमों के तहत प्रचलित थी, लेकिन जब 2004 के नियम बनने के बाद 2001 के नियम निरस्त हो गए, तो 2004 के नियम ही लागू होंगे।

15. उच्च न्यायालय ने **रतन लाल एवं कंपनी तथा अन्य बनाम मूल्यांकन प्राधिकरण, पटियाला एवं अन्य**[1] में इस न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय पर ध्यान दिया, जिसमें यह राय दी गई थी कि पुनर्गठन के बाद नए राज्य के निर्माण पर, मूल अधिनियम को नियत तिथि से पहले की तिथि से संशोधित नहीं किया जा सकता है और मूल अधिनियम प्रत्येक राज्य पर एक स्वतंत्र अधिनियम के रूप में लागू होगा तथा नए राज्य के क्षेत्र के संबंध में मूल अधिनियम को संशोधित करने की विधायी क्षमता नए राज्य के पास है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के अनुसार, एकीकृत बिहार राज्य में पहले से मौजूद कानून, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के

[1] (1969) 2 SCR 544

तहत बनाए गए नए राज्य पर तब तक लागू होते रहेंगे, जब तक कि सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए। इस प्रकार, यह देखा गया है कि 2001 के नियम, नियम 22 में विशेष रूप से समय-समय पर ली जाने वाली परीक्षा के लिए प्रावधान करते हैं, जैसा कि विभागीय परीक्षा नियम, यानी 1963 बिहार नियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

16. जहां तक 2004 नियमावली के नियम 27 का सवाल है, उसी 1(1969) 2 एससीआर 544 ने 2001 नियमावली को निरस्त कर दिया। विवादित फैसले में यह स्वीकार किया गया कि 2004 नियमावली में 1963 बिहार नियमावली का कोई संदर्भ नहीं था और न ही 2001 नियमावली के नियम 22(ii) में कोई संदर्भ है। इस प्रकार यह राय दी गई कि 1963 बिहार नियमावली, जो 2001 नियमावली पर लागू थी, को 2004 नियमावली द्वारा निष्क्रिय या अधिक्रमित या निरस्त नहीं माना जा सकता। इस प्रकार, 2004 नियमावली के नियम 21(बी) में प्रयुक्त 'अकेले' पद का यह अर्थ नहीं लगाया गया कि हिंदी परीक्षा को स्थायीकरण के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह माना गया कि उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत प्राप्त नियंत्रणशक्ति , अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के लिए हिंदी परीक्षा और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्देश देने का अधिकार और अनुमति है। इस प्रकार, हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य माना गया। यह भी देखा गया कि ऐसा है, भले ही इससे अपीलकर्ताओं को कठिनाई हो सकती है, जो परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वेतन वृद्धि के लिए अयोग्य होंगे।

17. उपर्युक्त संदर्भ में उच्च न्यायालय ने केवल उन्हीं अधिकारियों को स्थायी किया है जिन्होंने हिंदी परीक्षा उच्च ग्रेड में उत्तीर्ण की थी।

18. यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ व्यक्तियों ने हिंदी परीक्षा “निम्न ग्रेड” के साथ उत्तीर्ण की, जिन्हें ध्यान में नहीं रखा गया।

19. पश्चातवर्ति तथ्यात्मक विस्तार यह है कि सभी अपीलकर्ताओं ने "उच्च ग्रेड" में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और इस प्रकार, उस सीमा तक विवाद (लिस) जीवित नहीं रहा है। हालाँकि, विवाद (लिस) इस सीमा तक जीवित

है कि अपीलकर्ताओं को वेतन वृद्धि का लाभ देने से इनकार किया जा रहा है, जो उन्हें सेवा की निरंतरता के लिए तब तक मिलना चाहिए जब तक कि उन्होंने "उच्च ग्रेड" हिंदी में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली।

20. हमने झारखंड राज्य को विभिन्न तिथियों पर इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर दिया है। हालाँकि, इसका कोई लाभ नहीं हुआ और हमें प्रश्नगत मुद्दे पर न्याय निर्णय करने की आवश्यक् हुई।

21. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों की जांच करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आक्षेपित आदेश के तर्क को कायम नहीं रखा जा सकता और न ही इसे 2004 के नियमों में “उच्च श्रेणी” की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में पढ़ा जा सकता है।

22. सन् 2001 के नियमों के अभिभावी होने तक शाब्दिक उलट फेर की कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1963 के बिहार नियम झारखंड राज्य के निर्माण अधिनियम 2000 के तहत लागू हुए थे। 2001 के नियमों में हिंदी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की भी परिकल्पना की गई थी, जो 1963 के बिहार नियमों से संदर्भित था। हालाँकि, जब 2004 के नियम लागू किए गए, तो वे सभी पुराने नियमों का स्थान ले चुके थे और 2001 के नियमों को 2004 के नियमों के नियम 27 के तहत विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार, 2004 के नियमों के लागू होने से पहले की स्थिति समाप्त हो गई। 2004 के नियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि झारखंड न्यायिक सेवा के सदस्यों के चयन, भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ उक्त नियम लागू रहेंगे। 2004 के नियमों के नियम 21(बी) में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना ही प्रशिक्षुओं की स्थायीकरण के लिए “एकमात्र-अकेला” शर्त होगी। इससे 2004 के नियमों के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता, यानी कि वे ही मान्य हैं और उन्होंने बदले में राजस्व बोर्ड द्वारा “उच्च ग्रेड” हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का प्रावधान नहीं किया था।

23. हम यह स्पष्ट करते हैं कि इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। तथ्य यह है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। नियमों में स्वंय ही ऐसे निर्देश को शामिल करना हमेशा से खुला था। नियुक्ति अधिसूचनाओं में भी पैरा 2 के अनुसार झारखंड सेवा (भर्ती) विनियम, 2005 के नियम 21 और 22 में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसे वास्तव में 2004 के नियमों के

अनुसार पढ़ा जाना चाहिए, जो कि 31.3.2005 को प्रकाशित किए गए थे। इन नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना ही प्रशिक्षुओं की पुष्टि के लिए "एकमात्र-अकेले" शर्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक और शर्त यह है कि उच्च न्यायालय किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने की हिदायत दे सकता है, लेकिन तब उच्च न्यायालय द्वारा उत्तीर्ण की जाने वाली ऐसी कोई परीक्षा आवश्यक नहीं है, बल्कि तब उच्च न्यायालय ने नियमों की व्याख्या इस प्रकार करने का प्रयास किया मानो 2001 के नियमों के अनुसार 1963 के बिहार नियम के तहत हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रावधान को 2004 के नियमों में भी पढ़ा जाना चाहिए। इस तरह की किर्या का अनुक्रम ग़ैर-टिकाऊ है।

24. इस प्रकार, हमारा विचार है कि 2004 के नियमों के अनुसार प्रचलित कानूनी स्थिति राजस्व विभाग द्वारा आयोजित हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं करता है क्योंकि 1963 के बिहार नियम को 2004 के नियमों में नहीं पढ़ा जा सकता है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि उत्तरवादियों के लिए 2004 के नियमों में संशोधन करना हमेशा खुला है, यदि वे ऐसी कोई शर्त शामिल करना चाहते हैं या उच्च न्यायालय स्वयं ऐसा करके उस उद्देश्य के लिए हिंदी परीक्षा आयोजित कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि झारखंड राज्य में किए जाने वाले न्यायिक कार्यों के कारण हिंदी भाषा में दक्षता संभवतः एक आवश्यकता है। किसी भी मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी अपीलकर्ताओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और इस प्रकार, उन्हें वेतन वृद्धि और अन्य अनिवार्य लाभों का लाभ देने का एकमात्र प्रश्न है, भले ही उन्होंने हिंदी परीक्षा में “उच्च ग्रेड” पास न किया हो।

25. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने उत्तरवादियों के रुख के एक अन्य निहितार्थ की ओर भी ध्यान दिलाया है, अर्थात, यद्यपि अपीलकर्ता वर्ष 2011 में शामिल हुए थे और इस प्रकार पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आवरणित हो गए, यदि उत्तरवादियों का कहना स्वीकार कर लिया जाए तो उनके बाद के स्थायीकरण के परिणामस्वरूप वे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं, बल्कि नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आ जाएंगे, जो अधिसूचना दिनांक 22.12.2013 के अनुसार लागू हुई है।

26. इस प्रकार हम यह भी मानते हैं कि अपीलार्थी वर्ष 2011 में सेवा में प्रवेश करने के समय से ही पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने के हकदार होंगे।

27. उत्तरवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि अनिवार्य लाभ की राशि का अंतर आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं को भेज दिए जाएं।

28. तदनुसार अपील मंज़ूर की जाती है तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने को छोड़ दिया जाता है।

.....न्यायमूर्ती

[जे. चेलमेश्वर]

..... **न्यायमूर्ती**

[संजय किशन कौल]

नई दिल्ली।

11 मई 2018.

यह अनुवाद शबनम (पैनल अनुवादक) के द्वारा किया गया।